न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :— 51/2022 **GCMS 2022/96**

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र श्री गंगाराम उम्र 66 वर्ष

अर्जुनराम पुत्र श्री नाथुराम के विधिक वारिसान

2. विमला पत्नी स्व. अर्जुनराम उम्र 33 वर्ष
3. राहुल पुत्र स्व. अर्जुनराम उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वली माता श्रीमति विमला पत्नी स्व. अर्जुनराम
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री नाथुराम उम्र 33 वर्ष
5. गोपाल पुत्र श्री नाथुराम उम्र 52 वर्ष
6. नौरती पत्नी श्री नाथुराम उम्र 70 वर्ष
7. पांचुराम पुत्र श्री नाथुराम उम्र 30 वर्ष
8. भागीरथ पुत्र श्री नाथुराम उम्र 45 वर्ष
9. छितरराम पुत्र श्री हीराराम उम्र 56 वर्ष
10. बनवारी पुत्र श्री हीराराम उम्र 52 वर्ष
11. छोटूराम पुत्र श्री हीराराम उम्र 35 वर्ष

बन्नाराम पुत्र श्री मानाराम के विधिक वारिसान

12. श्रीमति बीदामी पत्नी स्व. श्री बन्नाराम
13. सीताराम पुत्र स्व. श्री बन्नाराम
14. बाबुलाल पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 27 वर्ष
15. रामनिवास पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 42 वर्ष
16. सीतादेवी पत्नी श्री रामेश्वर उम्र 60 वर्ष

सभी जाति रैगर निवासीयान पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादी :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत् अधिकारों की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 व सपठित धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :— श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

दिनॉक :— 10/02/2023

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का साराँश इस प्रकार से है कि यह है कि ग्राम सरगोठ के गत खसरा संख्या 593 रकबा [illegible] बिस्वा, खसरा संख्या 594 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 595 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 34 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

7 बिस्वा वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की अवस्थित रही जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त लगातार है। वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनके जीवनयापन का एकमात्र साधन गत खसरा संख्या 593, 594, 595 कुल खसरा 3 कुल रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा है। नांवा तहसील में द्वितीय भू प्रबन्ध सम्वत् 2046 में हुआ। द्वितीय भू प्रबन्ध में गत खसरा संख्या 593, 594, 595 के नवीन खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा संख्या 1119 रकबा 5.55 हैक्टयर, कायम किये गये एंव रकबे की इकाई बीघा से हैक्टर में बदली गई। वादीगण की खातेदारी 34 बीघा 7 बिस्वा को 5.56 हैक्टयर दर्ज किया गया। राजस्व अधिकारीयों ने राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1119 के दक्षिण में डोटेड (------) लाईन डालकर खसरा नम्बर 1119 के डायग्राम को राजस्व नक्शे में रकबा 4.50 हैक्टयर कर दिया। जबकि वादीगण की कब्जा काश्त शुरू से ही 5.56 हैक्टयर भूमि पर है। द्वितीय भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वादीगण को सुने वादीगण के खेत खसरा नम्बर 1119 का डायग्राम राजस्व नक्शे में दक्षिण की तरफ डोटेड (-----) लाईन लगाकर 1.06 हैक्टयर वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1119 का क्षेत्रफल घटा दिया जो एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा राजस्व नक्शे के डायग्राम में की गई त्रुटि को संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में ए से बी दिखाया गया है तथा वादीगण के कब्जे काश्त अनुसार डोटेड लाईन ए. बी. को दक्षिण दिशा में खिसकाने पर सही स्थिति को मार्क सी से डी दर्शाया गया है। परिशिष्ट 'क' वाद का अभिन्न अंग समझा जावे। वादीगण की खातेदारी का रकबा 5.56 हैक्टयर था। वही आज राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा वादीगण की कब्जा काश्त 5.56 हैक्टयर पर है। परन्तु भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हुई त्रुटि डोटेड लाईन जो खसरा नम्बर 1119 के दक्षिण में डाली गई है से भ्रमित होकर प्रतिवादी वादीगण का खसरा संख्या 1120 में अतिक्रमण मानकर वादीगण को उनकी खातेदारीशुदा भूमि रकबा 1.06 हैक्टयर से बेदखल करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादी वादीगण को उनकी खातेदारी शुदा भूमि से अतिक्रमी मानकर बेदखल करने में सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असम्भव होगा। वादीगण के सहखातेदार सुवा, शंकर पिता कानाराम द्वारा अपना सम्पुर्ण हिस्सा व बनाराम पुत्र मानाराम द्वारा अपने हक हिस्से में से 0.2016 हैक्टयर भूमि श्रीमति संतोष देवी पत्नी हीराराम को बैचान कर दी गई। जिसका नामन्तरण संख्या 402 दिनांक 05-06-2009 को दर्ज किया गया। संतोष देवी पत्नी हीराराम द्वारा अपना सम्पुर्ण हिस्सा मानाराम पुत्र बुधाराम को बैचान कर दिया जिसके नामान्तरण संख्या 577 दिनांक 06-06-2009 को दर्ज किया गया। मानाराम पुत्र बुधाराम द्वारा खसरा संख्या 1119 का बटवारा किया गया। बटवारे में मानाराम पुत्र बुधराम के हिस्से में खसरा नं. 1559 / 1119 रकबा 1.1157 हैक्टयर रखा गया एवं वादीगण के हिस्से में खसरा नं. 1118 रकबा 0.01 हैक्टयर खसरा नं. 1119 रकबा 4.4043 खसरा नं. 1560 / 1119 रकबा 0.03 हैक्टयर रखा गया जिसका नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

संख्या 975 दिनांक 08–06–2017 को दर्ज किया गया। मगनूड़ी पत्नी गंगाराम का स्वर्गवास हो चुका है। उसका विधिक वारिस वादी संख्या 1 है। वादीगण खसरा संख्या 1118 रकबा 0.01 हैक्टर 1119 रकबा 4.4043 हैक्टयर खसरा नं. 1560/1119 रकबा 0.03 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। प्रतिवादी द्वारा राजस्व नक्शे में गलत डोटेड लाईन डाली गई है, जिसे वादी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। हल्का पटवारी सरगोठ व प्रतिवादी ने धमकी दी है कि वादीगण का अतिक्रमण है। उसे हटाया जायेगा तथा वादीगण को प्रतिवादी द्वारा धमकी देने पर नक्शे के डायग्राम गलत होने की जानकारी हुई जिसे वादी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। खसरा संख्या 1119 के डाईग्राम का रकबा भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा डोटेड लाईन डालकर क्षेत्रफल 1.06 हैक्टयर बिना किसी अधिकार के कम कर दिया गया। इसलिए राजस्व रेकड़ में खतोनी व ट्रेस नक्शे में अन्तर है। इसलिए खसरा संख्या 1119 में किये गये गलत डाईग्राम के आधार पर प्रतिवादी वादीगण के अधिकारों को मान्यता नही दे रहे है एवं वादीगण को राजस्व नक्शें में खसरा नं. 1119 के डाईग्राम के गलत इन्द्राज के आधार पर 1.06 हैक्टयर भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बहुत ही आवश्यक प्रकृति का हो गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि है इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध वाद लाने से पूर्व धारा 80(1) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी का वाद बहुत ही आवश्यक प्रकृति का है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिवादी को धारा 80 (1) सी. पी.सी. का नोटिस देकर वाद लाना संभव नही है। क्योंकि नोटिस की अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा वादीगण को बेदखल कर दिया गया, तो वादीगण का वाद लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वादीगण व माननीय न्यायालय में धारा 80 (2) सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बिना नोटिस दिये वाद लाने की अनुमति प्राप्त कर ली है एवं उसी अनुमति के तहत यह वाद पेश किया गया है। बिनाय दावा अभी माह दिसम्बर 2021 में वादी द्वारा खेजड़ीया छांग ने पर प्रतिवादी द्वारा एवं हल्का पटवारी सरगोठ द्वारा वादीगण को खसरा संख्या 1119 में रकबा 1.06 हैक्टयर से बेदखल करने की धमकी देने पर बैमुकाम सरगोठ पेदा हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि यह घोषित फरमाया जावें कि ग्राम सरगोठ का खसरा संख्या 1119 रकबा 4.4043 हैक्टयर वादीगण के अधिकार एवं आधिपत्य का है। वादीगण खसरा संख्या 1119 के दक्षिण दिशा में राजस्व नक्शें के डाईग्राम में दर्शित डोटेड लाईन को 1.06 हैक्टयर दक्षिण दिशा की में वाद के साथ सलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट (क) में दर्शित मार्क ए. से बी. को मार्क सी. से डी. पर अंकित किये जाने का आदेश फरमावे। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आश्य की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सरगोठ के खसरा संख्या 1119 रकबा 4.4043 हैक्टयर से वादीगण की कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी न तो स्वयं डाले न ही अन्य किसी व्यक्ति से डलवावें। वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बंद किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से नक्शा ट्रेस गत एवं वर्तमान की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की नकल, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065, खतौनी सम्वत 2023–2037 की प्रमाणित प्रति, वर्तमान जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 की नकल प्रस्तुत की।

वकील वादीगण की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम सरगोठ के गत खसरा नम्बर 593, 594, 595 से नये खसरा नम्बर 1119 रकबा 5.55 हैक्टर अंकित हुये, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम सरगोठ अनुसार खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 1119 रकबा 5.55 हैक्टर कुल रकबा 5.56 हैक्टर में नाथूराम रामेश्वर पि. जालुराम 1/6 हि. सुवा शंकर पि कानाराम 1/6 हि. बनाराम पुत्र मानाराम 1/6 हि. हीराराम गंगाराम पि. पदमाराम 1/2 हि. जाति रेगर सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी नकल सम्वत 2023–2026 सरगोठ के खसरा नम्बर 595 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 594 रकबा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 593 रकबा 18 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा में काना माना पि. जालु रेगर 1/2 गंगला हीरा पि. पदमा रेगर 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल सम्वत 2027–2030 में सुवटीया शंकरराम पि. कानाराम बन्नाराम पुत्र मानाराम रेगर ब.हि.ब. 1/2 गंगाराम हीराराम पि. पदमाराम रेगर 1/2 हि. सा. देह खातेदार दर्ज है। सम्वत 2034–2037 में उपरोक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 अनुसार ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 1119 रकबा 4.4043 हैक्टर, खसरा नम्बर 1560/1119 रकबा 0.03 हैक्टर में 1. अर्जुन पुत्र नाथूराम हिस्सा- 3131/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 2. ओमप्रकाश पुत्र नाथूराम हिस्सा- 3131/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 3. गोपाल पुत्र नाथूराम हिस्सा- 3131/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 4. छीतरराम पुत्र हीराराम हिस्सा- 13900/133329 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 5. छोटूराम पुत्र हीराराम हिस्सा- 13900/133329 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 6. नोरती पत्नि नाथूराम हिस्सा- 3131/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 7. पाचूराम पुत्र नाथूराम हिस्सा- 3131/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 8. बनवारी पुत्र हीराराम हिस्सा- 13900/133329 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 9. बनाराम पुत्र मानाराम हिस्सा- 300/44443 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 10. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा- 9393/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 11. भंवरलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा- 6950/44443 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 12. [illegible] नाथूराम हिस्सा- 3131/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 13. म[illegible] पत्नि [illegible] हिस्सा- 6950/44443 जाति- रेगर सा. देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदार, 14. रामनिवास पुत्र रामेश्वर हिस्सा- 9393/177772 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, 15. सीतादेवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा- 6950/44443 जाति- रेगर सा. देह खातेदार, दर्ज चले आ रहे है। वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। गत नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस का मिलान किया गया तथा वादीगण द्वारा परिशिष्ट अनुसार डायग्राम में भिन्नता है तथा वादीगण ने उपरोक्त खसरा नम्बर 1119 रकबा 4.4043 का रकबा पूर्ण है परन्तु डायग्राम का माप कराने पर उपरोक्त खसरे का रकबा 1.06 हैक्टर कम आ रहा है जबकि मौके पर वादीगण की भूमि पूर्ण है तथा नक्शा ट्रेस में डायग्राम से माप कराने पर भूमि कम आ रही है जिसे परिशिष्ट अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त डायग्राम से माप करने की पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड पुराने नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस मोमिया सीट से तुलना करने पर साबित है। अतः वाद वादीगण काबिल स्वीकार योग्य होने से परिशिष्ट "क" मुताबित राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्वि किया जाना उचित है। उपरोक्त भूमि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1119 रकबा 4.4043 हैक्टर में डायग्राम से माप करने से 1.06 हैक्टर जो कम आ रही है उसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रस्तुत परिशिश्ट "क" में अंकित मार्क **A B** लाईन दक्षिण दिशा में **C D** किया जाना अनुसार राजस्व नक्शे मे डायग्राम की दुरूस्ती सही किया जाना न्यायोचित है। जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके। अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाया गया।

आदेश

ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1119 रकबा 4.4043 हैक्टर राजस्व नक्शे का डायग्राम को प्रस्तुत परिशिष्ट "क" में अंकित मार्क **A B** लाईन दक्षिण दिशा में **C D** किया जाकर राजस्व नक्शे मे दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 10/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 51 / 2022 **GCMS 2022/96**

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र श्री गंगाराम उम्र 66 वर्ष

अर्जुनराम पुत्र श्री नाथुराम के विधिक वारिसान

2. विमला पत्नी स्व. अर्जुनराम उम्र 33 वर्ष
3. राहुल पुत्र स्व. अर्जुनराम उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वली माता श्रीमति विमला पत्नी स्व. अर्जुनराम
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री नाथुराम उम्र 33 वर्ष
5. गोपाल पुत्र श्री नाथुराम उम्र 52 वर्ष
6. नौरती पत्नी श्री नाथुराम उम्र 70 वर्ष
7. पांचुराम पुत्र श्री नाथुराम उम्र 30 वर्ष
8. भागीरथ पुत्र श्री नाथुराम उम्र 45 वर्ष
9. छितरराम पुत्र श्री हीराराम उम्र 56 वर्ष
10. बनवारी पुत्र श्री हीराराम उम्र 52 वर्ष
11. छोटूराम पुत्र श्री हीराराम उम्र 35 वर्ष

बन्नाराम पुत्र श्री मानाराम के विधिक वारिसान

12. श्रीमति बीदामी पत्नी स्व. श्री बन्नाराम
13. सीताराम पुत्र स्व. श्री बन्नाराम
14. बाबुलाल पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 27 वर्ष
15. रामनिवास पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 42 वर्ष
16. सीतादेवी पत्नी श्री रामेश्वर उम्र 60 वर्ष

सभी जाति रैगर निवासीयान पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत् अधिकारों की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 व सपठित धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1119 रकबा 4.4043 हैक्टर राजस्व नक्शे का डायग्राम को प्रस्तुत परिशिष्ट "क" में अंकित मार्क A B लाईन दक्षिण दिशा में C D किया जाकर राजस्व नक्शे मे दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दि........ माह 02 .... सन् 2023 .... को जारी की गई।

(मुहर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/49 दिनॉक:–10/02/2023

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 51/2022 **GCMS 2022/96** भंवरलाल बनाम राज.सरकार वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 51/2022 **GCMS 2022/96** भंवरलाल बनाम राज.सरकार में पारित डिक्री की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested